

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के ग्राम, पर्याडियान लीलीगुड, लॉन्ग ग्राम पञ्चा का लीअर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामों की सिप्रकन्वर अप्पासित लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

- 1) ग्राम पंचायत:- कटापत्थर
- 2) तहसील:- विकासनगर
- 3) जिला:- देहरादून
- 4) बैठक तिथि:- 02-08-21

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत- कटापत्थर की दि० ०२-०८-२० को सम्बन्धित बटक में चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत कटापत्थर की भूमि में नलकूप खण्ड, देहरादून द्वारा, योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाये जाने पर इस ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम प्रधान
मुहर सहित

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के ग्राम, पपडियान तौलीभूड, लांघा ग्राम पष्ठा का लोअर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामों की सिप्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

दिनांक 02-08-21 को ग्राम पंचायत के टा.प.त्य. की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्र० सं०	ग्राम पंचायत में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	धनश्याम	
2	जसपाल देववाल	
3	अनुराग सिंह	
4	गीता डिकी	
5	शेर सिंह	
6	अनिल कुमार	
7	गोपाल पुण्डिर	
8	सन्दीप तोगर	
9	शुक्ल सिंह	
10	अरविन्द तोगर	
11	मदन पाल सिंह	
12	प्रदीप चौधरी	
13	सौरभ कर्मा	
14	प्रेम कुमार	
15	इलाहाउल्लाह	
16		
17		
18		
19		
20		



ह०:-

ग्राम प्रधान
मुहर सहित

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के ग्राम, पपड़ियान तौलीभूड, लांघा ग्राम पञ्चा का लोअर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामों की स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

- 1) ग्राम पंचायत:- लांघा
- 2) तहसील:- विकासनगर
- 3) जिला:- देहरादून
- 4) बैठक तिथि:- 08-08-2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत- लांघा की दि० ०८/०८/२०२१ को सम्पन्न बैठक में चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत लांघा की भूमि में नलकूप खण्ड, देहरादून द्वारा, योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाये जाने पर इस ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०:-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के ग्राम, पपड़ियान तौलीभूड, लांघा ग्राम पञ्चा का लोअर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामों की सिप्रंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

दिनांक 08-08-2021 को ग्राम पंचायत लांघा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्र० सं०	ग्राम पंचायत में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	कलम सिंह	कलम सिंह
2	भुजि रथ सिंह	भुजि रथ सिंह
3	राम नन्द	राम नन्द
4	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
5	मोह दयाल	मोह दयाल
6	सन्त राम पवार	सन्त राम पवार
7	किरण सिंह	किरण सिंह
8	सुमित पुजारी संजय कुमार	संजय कुमार
9	सुमित पुजारी	सुमित पुजारी
10	रघुवीर	रघुवीर
11	चमन सिंह	चमन सिंह
12	निविन तोमर	Nitin Tomar
13	सनी राम	सनी राम
14	दिनेश कुमार	दिनेश कुमार
15	राजन कुमार	राजन कुमार
16	जयपाल	जयपाल
17	शंकर	शंकर
18	आर्पित	आर्पित
19	सुधीर	सुधीर
20	Kamal Shek	Kamal Shek



ह०:-

ग्राम प्रधान
मुहर सहित

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के ग्राम, पपड़ियान तौलीभूड, लांघा ग्राम पष्ठा का लोअर पीपलसार एवं अपर रूद्रपुर ग्रामों की सिप्रंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

- 1) ग्राम पंचायत:- पष्ठा
- 2) तहसील:- विकासनगर
- 3) जिला:- देहरादून
- 4) बैठक तिथि:- 03-09-2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन, ग्राम पष्ठा के लोअर पीपलसार में बिछाये जाने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-पष्ठा की दि०३/९/२०२१ को सम्पन्न बैठक में चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत पष्ठा की लोअर पीपलसार भूमि में नलकूप खण्ड, देहरादून द्वारा, योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाये जाने पर इस ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०:-

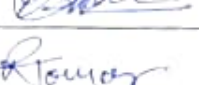
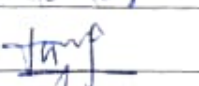
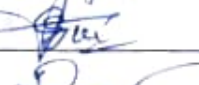
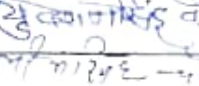
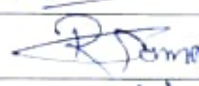
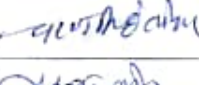
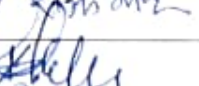
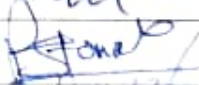
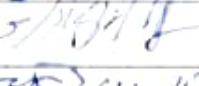
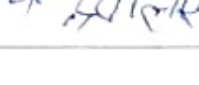
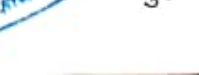
ग्राम प्रधान

मुहर सहित



परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के ग्राम, पपड़ियान तौलीभूड, लांघा ग्राम पञ्चा का लोअर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामों की स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

दिनांक 3/9/2021 को ग्राम पंचायत पञ्चा — की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्र० सं०	ग्राम पंचायत में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विपिन तोगर	
2	राजेश सिंह तोगर	
3	चन्द मोहन	
4	मन्नालाल सिंह चौहान	
5	राहुल तोगर	
6	जीवन सिंह तोगर	
7	संसार सिंह	
8	सुनील तोगर	
9	मुकुश तोगर	
10	व/क डेवसिंह चौहान	
11	युवराज सिंह तोगर	
12	मीन सिंह चौहान	
13	सन्दीप तोगर	
14	विनय तोगर	
15	चरण सिंह तोगर	
16	राजेश तोगर	
17	जगदीप चौहान	
18	रविन्द्र तोगर	
19	जगदीश्वर सिंह चौहान	
20	चन्दपाल सिंह तोगर	



हो:-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

(वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं)

Form-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Magistrate— **Dehradun**

No.....1770/ALRC/2021

Dated 27-12-2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt), Dated 03.08.2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5 february 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **0.18** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Tubewell Division, Dehradun** (name of user agency) for **Construction of Sprinkler based lift Irrigation Scheme for village Papariyan, Taulibhoor, Langha Lower Pipalsar of village Pasta and Upper Rudrapur** (Purpose for diversion of Forest land) **Dehradun** district falls within jurisdiction of Domate, Tauli, Papariyan village in **Vikasnagar** Tehsil.

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.18** hectares of Forest area proposed for diversion. Acopy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s) Sub division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure..30. to annexure.32. and annexure 44-52
- The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As Above.

Signature

(Full name of official seal of the District Magistrate

जिलाधिकारी
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी

Form-II

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Magistrate – Dehradun

No.....1770/DLRC / 2021

Dated 27.12.2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt), Dated 03.08.2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes. it is certified that 0.18 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Tubewell Division, Dehradun (name of user agency) for Construction of Sprinkler based lift Irrigation Scheme for village Papariyan, Taulibhoor, Langha Lower Pipalsar of village Pasta and Upper Rudrapur** (Purpose for diversion of Forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of Domate, Tauli, Papariyan village in **Vikasnagar** Tehsil.

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.18 hectares of Forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s) Sub division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure. 30. to annexure. 32...and annexure 44 to 52.
- The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA.
- The each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of Proposed diversion a copy of certificate issued by the gramsabha of Domate, Tauli, Papariyan villages (s) is enclosed as annexure. 44 to 52.
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha has given their consent to it;
- The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguard as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl: As Above.

Signature

प्रमाणित वनाधिकारी
कालसी मू० सं० वन प्रभाग,
कालसी।१९

(Full name of official seal of the District Magistrate

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE

DISTRICT DEHRADUN (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of **Dehradun** District Constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Dr. R. Rajesh Kumar** I.A.S District Magistrate, **Dehradun** on dated ~~27-12-2021~~ at time in which application claiming rights in area measuring **0.18** hectares for the Construction of **Sprinkler based lift Irrigation Scheme for village Papariyan, Taulibhoor, Langha Lower Pipalsar** of village **Pasta and Upper Rudrapur Forest** land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Vikasnagar** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : **Dehradun**

Dated :

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू०सं० वन प्रभाग
कालसी

District Magistrate Cum Chairman

जिलाधिकारी
देहरादून
District Level Committee

प्रपत्र 23.4(3)

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पपड़ियान, तौलीभूड़, लांघा ग्राम पष्ठा के लोअर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामों की स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु 0.18 है० वन भूमि का नलकूप खण्ड, (सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड) देहरादून को हस्तान्तरण।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

पत्रांक 1770/DRC/2021/वन अधि०अधि०/2021-22,

दिनांक 27/12/2021

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय समय पर संशोधित) के धारा 6(5) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं० 11-09/98-FC, (pt) दिनांक 09.08.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 27/12/2021 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे। इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्हीं अनुसूचित और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right & Settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ।

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत उक्त योजना के निर्माण हेतु 0.18 है० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु नलकूप खण्ड, देहरादून को वन भूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा 6(1) के अनुसार उक्त योजना में ग्राम पंचायत स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक ^{31.7.2021}₀₃₋₀₂₋₂₀₂₀ को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा 6(3) के प्राविधानुसार उप जिलाधिकारी, विकासनगर की अध्यक्षता में गठित उप जिला स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 26-11-2021 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का कोई Right & Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वन अधिकार हेतु कोई दावा नहीं होगा।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भूमि संरक्षण,
वन प्रभाग, कालसी
कालसी सू० सं० वन प्रभाग
कालसी।

जिलाधिकारी,

देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रपत्र 23.2

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पपड़ियान, तौलीभूड़, लांघा ग्राम पष्ठा के लोअर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामों की स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु 0.18 है०, वन भूमि का नलकूप खण्ड (सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड) देहरादून को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, विकासनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर, देहरादून

उपखण्ड विकासनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना की पाईप लाईन के बिछाये जाने हेतु 0.18 है० आरक्षित वन भूमि का नलकूप खण्ड, देहरादून को हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील विकासनगर) की दिनांक 26-11-2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनोद कुमार उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की, अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री विनोद कुमार ^{उप जिलाधिकारी} उप जिलाधिकारी, विकासनगर, अध्यक्ष।
2. श्री सहसपुर उपवन प्रभाग ^{उप प्रभागिय वनाधिकारी} उप प्रभागिय वनाधिकारी, कालसी वन प्रभाग, सदस्य।
3. श्री पूजा ^{सहायक समाज कल्याण अधिकारी} सहायक समाज कल्याण अधिकारी, विकासनगर सदस्य/सचिव।
4. श्री पिंजरा ^{05 क्षेत्र प्रभावित सदस्य} 05 क्षेत्र प्रभावित सदस्य, विकासनगर, सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाई जाने हेतु 0.18 है०, आरक्षित वन भूमि नलकूप खण्ड, देहरादून (सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव

माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र, प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड विकासनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु 0.18 है० आरक्षित वन भूमि नलकूप खण्ड, देहरादून, (सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड) को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।


 उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील-विकासनगर, उपखण्ड विकासनगर,
 उपजिला-देहरादून, विकासनगर-देहरादून।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील-विकासनगर, उपखण्ड विकासनगर,
 देहरादून।

परियोजना का नाम — जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के ग्राम पपड़ियान, तौलीभूड़, लांघा ग्राम पष्ठा के लोअर पीपलसार एवं अपर रूद्रपुर ग्रामों की स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन श्री जगत सिंह, श्री सरदार सिंह, श्री चतर सिंह, निवासी चीलियों के खेत से आगे बिछाने हेतु (800.0 मीटर) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत	—	डुमैट
तहसील	—	विकासनगर,
जिला	—	देहरादून
बैठक की तिथि	—	

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन आरक्षित वन भूमि में बिछाये जाने हेतु 0.18 हैक्टेयर वन भूमि का नलकूप खण्ड, देहरादून के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डुमैट द्वारा दिनांक 31/07/2024 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत, डुमैट के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि 0.18 हैक्टेयर नलकूप खण्ड, देहरादून को उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0—
ग्राम सचिव विकास अधिकारी
मुखस सहित
वि0ख0 विकासनगर (देहरादून)

ग्राम प्रधान
मुहर सहित

कार्यवाही का रजिस्टर

[illegible]

कार्यवाही का रजिस्टर

दिनांक	उपस्थित सदस्यों का नाम	प्रस्ताव संख्या	कार्य जो किया गया	सदस्यों के हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा
1	2	3	4	5
	काबला शर्मा विमल शर्मा		यदि सिंचाई लिफ्ट ग्रामिनों की भूमि से हटते दूरे जाती हैं तो ग्रामिण सिंचाई लिफ्ट के कार्य को रोकने के लिए मजबूर होयें। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वि०ख० विकासनगर (देहरादून) 	काबला शर्मा विमल शर्मा

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के ग्राम पपड़ियान, तौलीभूड़, लांघा पष्ठा का लोअर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामों की विकासनगर-बड़कोट मोटर मार्ग के 12 किमी० से 13 किमी० के बीच स्थित मोटर पुल के नीचे नरों खड्ड, में मुख्य डिलीवरी पाईप लाईन बिछाई जाने हेतु (100.00 मीटर) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत - ग्राम पंचायत पपड़ियान
तहसील - विकासनगर,
जिला - देहरादून
बैठक की तिथि -

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलीवरी पाईप लाईन आरक्षित वन भूमि में बिछाये जाने हेतु 0.01 हैक्टेयर वन भूमि का नलकूप खण्ड, देहरादून के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पपड़ियान द्वारा दिनांक 03/02/2020 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत तौली एवं पपड़ियान के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि 0.01 हैक्टेयर, नलकूप खण्ड, देहरादून को, उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलीवरी पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0-
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत पपड़ियान
मुहर सहित
विकास खण्ड-विकासनगर (देहरादून)

ह0-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित
ग्राम पंचायत पपड़ियान
पंचायत राज
विकासनगर (देहरादून)

योजना का नाम :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत कटापत्थर नहर से ग्राम पपड़ियान, तौलीभूड, लांघा, पष्ठा के लोअर पीपलसार एवं अपर रूदपुर, ग्रामों की स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना के विकासनगर-बड़कोट मोटर मार्ग के 12 किमी० से 13 किमी० के बीच स्थित मोटर पुल के नीचे डिलीवरी पाईप लाईन बिछाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 03/02/2020 को ग्राम पंचायत की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत... पपड़ियान

क्र०सं०	ग्राम पंचायत में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	नरेश कुमार तोमर	नरेश सिंह
2.	नरेश सिंह	नरेश सिंह
3.	मोहन सिंह	मोहन सिंह
4.	जयपाल सिंह	जयपाल सिंह
5.	नेम सिंह	नेम सिंह
6.	महन्ताराम	महन्ताराम
7.	संदीप तोमर	संदीप तोमर
8.	अचिन्द	अचिन्द
9.	श्याम सिंह	श्याम सिंह
10.	भरत सिंह	भरत सिंह
11.	देवेन्द्र सिंह तोमर	देवेन्द्र सिंह तोमर
12.	हरामणी	हरामणी
13.	सिताराम	सिताराम
14.	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
15.	विश्वेश सिंह	विश्वेश सिंह
16.	विश्वेन्द्र सिंह	गोपाल
17.	आनिल कुमार	आनिल कुमार
18.	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - पपड़ियान
जनपद - विकासनगर (देहरादून)



प्रारूप-23

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के ग्राम पपड़ियान, तौलीभूड़, लांघा पष्ठा का लोअर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामों की विकासनगर-बड़कोट मोटर मार्ग के 12 किमी० से 13 किमी० के बीच स्थित मोटर पुल के नीचे नरों खड्ड, में मुख्य डिलीवरी पाईप लाईन बिछाई जाने हेतु (100.00 मीटर) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत	—	ग्राम पंचायत तौली
तहसील	—	विकासनगर,
जिला	—	देहरादून
बैठक की तिथि	—	

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन आरक्षित वन भूमि में बिछाये जाने हेतु 0.01 हैक्टेयर वन भूमि का नलकूप खण्ड, देहरादून के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तौली द्वारा दिनांक 13-07-19 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत तौली एवं पपड़ियान के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि 0.01 हैक्टेयर, नलकूप खण्ड, देहरादून को, उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०—
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Emmar
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत तौली
वि०ख० विकासनगर (देहरादून)

ह०—
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



योजना का नाम :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत कटापत्थर नहर से ग्राम पपड़ियान, तौली(भूड), लांघा, पष्ठा के लोअर पीपलसार एवं अपर रुदपुर, ग्रामों की स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना के विकासनगर-बड़कोट मोटर मार्ग के 12 किमी० से 13 किमी० के बीच स्थित मोटर पुल के नीचे नरो नाले में डिलीवरी पाईप लाईन बिछाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक.....13-07-2019 को ग्राम पंचायत की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

तौली (भूड)



क्र०सं०	ग्राम पंचायत में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री नरेन्द्र सिंह श/स्व श्री पूरुषोत्तम सिंह	
2.	॥ स्वर्ण सिंह श/स्व श्री मेधा सिंह	
3.	॥ अरवि-5-चौधरी श/स्व श्री मेधा सिंह	
4.	॥ दलीप सिंह श/स्व श्री आलम सिंह	
5.	॥ अमर प्रकाश श/स्व श्री किशन सिंह	
6.	॥ गुमान सिंह श/स्व श्री नन्द सिंह	
7.	॥ गुमान दाल श/स्व श्री गुमान	
8.	॥ भरत सिंह श/स्व श्री आन सिंह	
9.	॥ रामेश कुमार श/स्व श्री नरेंद्र सिंह	
10.	॥ साधु सिंह श/स्व श्री कुन्दन सिंह	
11.	॥ किशन चौरा श/स्व श्री नरेंद्र सिंह	
12.	॥ रतन सिंह श/स्व श्री गुमान सिंह	
13.	॥ रामा लाल श/स्व श्री पदम	
14.	॥ गुमान कुमार श/स्व श्री लालादी	
15.	॥ श्री मेधा सिंह श/स्व श्री मेधा	
16.	॥ वृंजालाल श/स्व श्री राम	

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत तौली (भूड)
वि०ख० विकासनगर (देहरादून)



क्र०सं०	ग्राम पंचायत में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
17.	श्री जगतसिंह डा० छि. शंकरसिंह	जगतसिंह
18.	" प्रेम सिंह डा० छि. चन्दर सिंह	प्रेमसिंह
19.	" जसमत सिंह डा० छि. अन्तापम	जसमत
20.	" भुवेंद्र कुमार डा० छि. दीनर सिंह	भुवेंद्र
21.	" आनन्द सिंह डा० छि. शिवराज	आनन्द
22.	" महेंद्र सिंह डा० छि. चमन सिंह	महेंद्र
23.	" रतन सिंह डा० छि. गंगाधर	रतन
24.	" फागुन सिंह डा० छि. नैन सिंह	फागुन
25.	" रामभद्र सिंह डा० छि. डन्डु जीत सिंह	रामभद्र
26.	" राजीव कुमार डा० श्री राजपल	राजीव कुमार
27.	" प्ररथ सिंह डा० छि. जिन्दा राध	प्ररथ सिंह
28.	" महेंद्र सिंह डा० छि. धर्म सिंह	महेंद्र सिंह
29.	" बलदेव सिंह डा० छि. वैद्य सिंह	बलदेव
30.	" हुकर सिंह डा० छि. नैन सिंह	हुकर सिंह
31.	" चमन सिंह डा० छि. बीराम	चमन सिंह
32.	" इन्दर सिंह डा० छि. जगदलाल	इन्दर सिंह
33.	" प्ररथ सिंह डा० छि. रामदिल	प्ररथ
34.	" प्रवीण सिंह डा० श्री नागचन्द	प्रवीण सिंह
35.	" रामचन्द डा० छि. अमर सिंह	रामचन्द
36.	" गोपाल डा० श्री नैन सिंह	गोपाल
37.	" रमेश डा० छि. आनन्द	रमेश
38.	" महेंद्र सिंह डा० छि. मुकुन्द	महेंद्र
39.	" राजेन्द्र डा० श्री रामलाल	राजेन्द्र

40. " रघुनारायण डा० छि. नानक

41. " गणू डा० छि. कुचर

42. " माधव डा० छि. जगदल

43. " देवराज डा० छि. गुलाब

44. " राजेन्द्र डा० छि. रतन

45. " चमन सिंह डा० छि. प्रेम

माधवसिंह

गणू

रामचन्द

गोपाल



- ५६) मोहन सिंह S/O क. अशोक - भाई S/O
 ५७) राजेश कुमार S/O क. प्रकाश - राजेश कुमार
 ५८) गजेंद्र सिंह S/O क. पदम - गजेंद्र
 ५९) रामजी S/O क. नरेश - ज. पागीत सिंह
 ६०) महेश्वर S/O क. पदम - महेश्वर सिंह
 ६१) - हरम S/O क. हरम - चर्म सिंह

Rammar
 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
 टोली
 वि०ख० विकासनगर (देहरादून)



परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के ग्राम, पपड़ियान तौलीभूड, लांघा ग्राम पष्ठा का लोअर पीपलसार एवं अपर रूद्रपुर ग्रामों की स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

- 1) ग्राम पंचायत:- कटापत्थर
- 2) तहसील:- विकासनगर
- 3) जिला:- देहरादून
- 4) बैठक तिथि:- 02-08-21

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत- कटापत्थर की दि० 02-08-21 को सम्पन्न बैठक में चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत कटापत्थर की भूमि में नलकूप खण्ड, देहरादून द्वारा, योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाये जाने पर इस ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

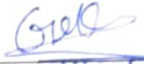
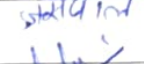
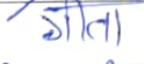
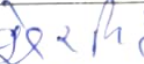
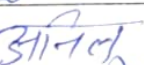
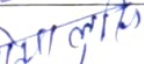
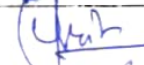
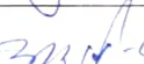
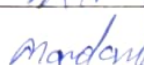
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम प्रधान
मुहर सहित

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के ग्राम, पपड़ियान तौलीभूड, लांघा ग्राम पञ्चा का लोअर पीपलसार एवं अपर रूद्रपुर ग्रामों की सिप्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना की मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

दिनांक 02-08-21 को ग्राम पंचायत केटापथर की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्र० सं०	ग्राम पंचायत में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जनक राम	
2	जसपाल देवेवाल	
3	अनुराग सिंह	
4	गीता देवी	
5	शेर सिंह	
6	अनिल कुमार	
7	गोपाल पुण्डित	
8	सन्दीप कुमार	
9	शुक्ल सिंह	
10	अरविन्द कुमार	
11	मदन पाल सिंह	
12	प्रदीप चौधरी	
13	सुरेश कुमार सुरेश कुमार	
14	पंकज कुमार	
15	डॉ. (2) / 11	
16		
17		
18		
19		
20		



ह०:-

ग्राम प्रधान
मुहर सहित